

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 371]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2023-अग्रहायण 14, शक 1945

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2023

PHEW-505-2019-सत्रह-मेडि-1.- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम, 50 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1046-786-08-सत्रह-मेडि-1, दिनांक 27 मार्च 2008 के अतिरिक्त राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए श्री रजनीश चौधरी, उप-संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश को नियंत्रक प्राधिकारी नियुक्त करती है.

PHEW-505-2019-XVII-मेडि-1.- In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 50 of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 and in addition to this department's Notification No. 1046-786-08-XVII-Med.-1 dated 27th March 2008, the State Government, hereby, appoints Shri Rajneesh Chowdhary, Deputy Director, Food and Drugs Administration, Madhya Pradesh to be the Controlling Authority for the purpose of the said rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश श्रीवास्तव, अपर सचिव.